संख्याः 4/2015-849/नौ-5-2015-265बजट/2013

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/एस.एल.एन.ए.,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 04 फरवरी, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2014-15 में जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत गोरखपुर पेयजल भाग-2 परियोजना हेतु अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पीएमयू/1208/125(IV)/2014, दिनांक 12.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत **गोरखपुर नगर की पेयजल भाग-2 परियोजना** हेतु शासनादेश संख्या- 6315/नौ-5-14-265बजट/2013, दिनांक 27.11.2014 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 1932.36 लाख के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि **रू0 241.545 लाख (रू0 दो करोड़ इकतालीस लाख चौवन हजार पॉच सौ मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित शर्तों/उपबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत	व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित / बढ़ी हुई लागत	अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश
1	2	3	4	5	6
1	गोरखपुर नगर पेयजल भाग-2 परियोजना	4830.90	5132.51	1932.36	241.545

(रू0 दो करोड़ इकतालीस लाख चौवन हजार पॉच सौ मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि में परियोजना हेतु अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी।

(3 प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) की दर के संदर्भ में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 एवं बढ़ी हुई लागत के संदर्भ में निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(5) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, स्थानीय निकाय /एसएलएनए तथा कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाये।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-नगर निगमों को सहायता-03-अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स (के.80/रा. 10-के.+रा.)-35-पूर्जीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 4/2015-849(1)/नौ-5-2015-265बजट/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9. कम्प्यूट सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।